4.3 अनुबन्ध-खण्डन के उपचार (Remedies for Breach of Contracts)

जब अनुबन्ध का कोई पक्षकार, जो परस्पर सहमति से अथवा किसी अन्य परिस्थिति के कारण दायित्व-मुक्त नहीं हुआ है, अनुबन्ध का निष्पादन करने से मना कर देता है अथवा अपने वचन का समुचित पालन नहीं करता, तो अनुबन्ध भंग हुआ माना जाता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्ष को निम्नलिखित उपचार प्राप्त है-

(1) **अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार (Right to rescind the contract)** - जब कोई पक्षकार अनुबन्ध भंग कर देता है, तब पीड़ित पक्ष अनुबन्ध को समाप्त मान सकता है एवं वह अनुबन्ध के अन्तर्गत अपने सारे दायित्वों से मुक्त हो जाता है।

उदाहरण, राम ने सोहन को 5 बोरी चीनी 1 मई को देने का वचन दिया। सोहन ने माल मिलने पर भुगतान का वचन दिया। निश्चित तिथि पर राम 5 बोरी चीनी नहीं दे पाया। ऐसी स्थिति में सोहन अनुबन्ध को समाप्त मान सकता है, एवं इसलिए वह भुगतान करने के अपने वचन से मुक्त माना जायेगा।

(2) **हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार (Right to claim damages)** - पीड़ित पक्षकार उस राशि के लिए क्षतिपूर्ति का दावा भी कर सकता है, जिसकी हानि अनुबन्ध खण्डन के कारण उठाई है। किन्तु यह हर्जाना उसे हुई हानि के लिए उचित क्षति-पूर्ति स्वरूप ही होगा, अनुबन्ध करने वाले पक्षकार के लिए खण्ड स्वरूप नहीं।

(3) **उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकार (Right to Claim for Quantum Meriut)** - जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी प्रार्थना पर कोई वस्तु देता है अथवा उसके लिए कोई काम करता है और यदि उसके लिए पहले से कोई पारिश्रमिक तय नहीं होता, तो उसे न्यायालय की दृष्टि में उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। उचित पारिश्रमिक की गणना मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

उदाहरण के लिए A, 20,000 रुपया में B का मकान बनवाने का अनुबन्ध करता है। B मकान का काम पूरा होने से पहले ही A को काम करने से रोक देता है। ऐसी परिस्थितियों में A अपने कार्य के लिए 'उचित पारिश्रमिक' पाने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है।

लेकिन 'उचित पारिश्रमिक सिद्धान्त' निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होता है-

(i) यदि कोई अनुबन्ध विभाजन योग्य न हो और सम्पूर्ण कार्य के निष्पादन के आधार पर किसी पक्षकार को पारिश्रमिक माँगने का कोई अधिकार नहीं होगा। जैसे- एक चित्रकार द्वारा किसी चित्र बनाने के क्रम में मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी इस अधूरे चित्र के लिए कोई पारिश्रमिक पाने का दावा नहीं कर सकता है।

(ii) यदि कोई अनुबन्ध आंशिक कार्य के भुगतान के लिए स्पष्ट या गर्भित रूप से न किया गया हो तो उचित पारिश्रमिक सिद्धान्त के आधार पर उसे कुछ भी पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हो सकता है।

(iii) यदि कोई पक्षकार अनुबन्ध खण्डन के लिए दोषी है तो उसे 'उचित पारिश्रमिक सिद्धान्त' के अनुसार कोई प्रतिफल या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल सकता है।

Scanned with CamScanner

लेकिन क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त करने के उपर्युक्त नियम के निम्नलिखित दो अपवाद भी है, जिसमें दोषी पक्षकार भी क्षतिपूर्ति का अधिकारी होता है-

(क) जब कोई अनुबन्ध विभाजित किया जा सकता है और पीड़ित पक्षकार ने दोषी पक्षकार द्वारा किये गये कार्य से लाभ उठाया है तो दोषी पक्षकार 'उचित पारिश्रमिक सिद्धान्त' के आधार पर किये गये कार्य के लिए पारिश्रमिक की मांग कर सकता है।

(ख) जब किसी अनुबन्ध के अधीन किसी कार्य के पूरा करने पर ही एक साथ पारिश्रमिक दिया जाना हो एवं कार्य पूरा कर दिया गया हो लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से, तो दोषी पक्षकार को देय रकम में से त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रकम काट कर ही शेष रकम प्राप्त हो सकती है।

(4) विशिष्ट निष्पादन की मांग का अधिकार (Claim for Specific Performance) - जब किसी अनुबन्ध के खण्डन की दशा में केवल हर्जाना पा लेना ही पर्याप्त उपचार नहीं हो सकता तो वैसी परिस्थिति में विशिष्ट उपचार अधिनियम के अन्तर्गत पीड़ित पक्षकार दूसरे पक्षकार को उसके वचन का निष्पादन करने को विवश करने के लिए न्यायालय में में दावा प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है।

लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में न्यायालय निर्दिष्ट निष्पादन की आज्ञा नहीं दे सकता।

(i) व्यक्तिगत सेवा संबंधी अनुबन्ध की स्थिति में,

(ii) प्रतिफल विहीन अनुबन्ध की स्थिति में,

(iii) यदि अनुबन्ध के निष्पादन का निरीक्षण करना संभव न हो,

(iv) यदि निर्दिष्ट निष्पादन के लिए आज्ञा प्रदान करना अपेक्षा एवं न्यायपूर्ण न हो

(v) द्रव्य के रूप में क्षतिपूर्ति संभव की स्थिति में।

(5) निषेधाज्ञा जारी करने की मांग का अधिकार (Claim of Injunction) - एक पक्षकार अपने अनुबन्ध में दिये गये वचन से मुकरने का मन्तव्य प्रेट करता है तो दूसरे पक्षकार उससे विशिष्ट निष्पादन कराने के उद्देश्य से न्यायालय का ऐसी निषेधाज्ञा जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है, जिससे अनुबन्ध भंग करने वाला पक्षकार ऐसा करने में सफल न हो।

उदाहरण के लिए A, B से एक हॉल नाटक करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए लेने का अनुबन्ध करता है, किन्तु B उस हॉल के उसी अवधि के लिए C को देने के लिए प्रवृत्त है तो A उसके इस कार्य पर निषेधाज्ञा जारी करने का आवेदन दे सकता है।

किन्तु यह न्यायालय का स्वाधीन अधिकार (Discretionary Power) है, जिसका प्रयोग साधारणतः निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किया जाता है-

(क) यदि क्षतिपूर्ति का उपचार मुद्रा में पर्याप्त न हो, एवं

(ख) न्यायालय द्वारा विशिष्ट निष्पादन लाना सम्भव न हो।

Scanned with CamScanner